राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 9 (4)छात्र/चु.घो.23.10/सान्याअवि/2018-19/ 48288 जयपुर, दिनांकः 06.10.21

सफाई पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को पढाई से सतत् रूप से जोड़ने के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 500 रूपये की अतिरिक्त सहायता राशि दिये जाने के दिशा-निर्देश- 2021

वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 23 के उपबिन्दु 10 "सफाई पेशें में लगे व्यक्तियों के बच्चों को पढाई से सततरूप से जोड़ने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अतिरिक्त 500/- रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जावेगी" के सम्बंध में वर्ष 2021-22 से निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. **पात्रता :-**

अ. विद्यार्थी विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अति-पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में नियमानुसार पात्र हो।

ब. विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक सफाई पेशे में लगे हो एवं स्वच्छकार वर्ग से हो।

2. **विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया :-** विद्यार्थी द्वारा विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अति-पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करते समय माता-पिता/अभिभावक सफाई पेशें में लगे होने के विकल्प को चयन किया जाना अनिवार्य होगा।

3. **विद्यार्थी द्वारा अपलोड किया जाने वाला दस्तावेज :-** विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक (माता-पिता के जीवित न होने पर अभिभावक) के सफाई पेशे में लगे एवं स्वच्छकार वर्ग से होने का विभाग द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

4. **योजनान्तर्गत दी जाने वाली राशिः-**

क्रं.सं.	गैर छात्रावासी/छात्रावासी	दी जाने वाली राशि (अधिकतम 10 माह हेतु)	प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि
1	गैर-छात्रावासी	500 रूपये प्रतिमाह	5000 रूपये
2	गैर-छात्रावासी	500 रूपये प्रतिमाह	5000 रूपये

5. **भुगतान प्रक्रिया** :- विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध लेखा शीर्ष (राज्य मद) में उपलब्ध प्रावधान से ही 500 रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की जावेगी।

उक्त दिशा-निर्देश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 132100095 दिनांक 24.08.21 के अनुशरण में जारी किये जाते है।

संलग्न : प्रमाण पत्र की प्रति।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 9 (4)छात्र/वु.घो.23.10/सान्याअवि/2018-19/ 48289-340 **जयपुर, दिनांकः** 6.10.202

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
9. जिला कलक्टर ....
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
11. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि .... (समस्त)।
12. सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देशों को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
13. सयुंक्त निदेशक (योजना)/वित्तीय सलाहकार/ उपनिदेशक (देवनारायण)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
14. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

सफाई पेशें में लगे परिवारों के बच्चो को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत 500/– रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु प्रमाण पत्र

क्रमांक :   दिनांक :

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति/माता/अभिभावक .... निवासी ... . के परिवार में से श्री/श्रीमती .... विद्यार्थी से सम्बंध .... जन–आधार क्रमांक .... सफाई पेशे से जुड़े व्यवसाय में लिप्त है।

दिनांक :
स्थानः

जारीकर्ता
मयपदनाम/मोहर